

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./10/2021/बाड़मेर

अपीलांटस

रेस्पोडेंटगण

| | |
|--|---|
| 1. देराजराम पुत्र बागाराम का.मु. 1/1कौशलाराम गोदपुत्र देराजराम | 1. नगाराम पुत्र पुरखाराम |
| 2. नारणाराम पुत्र बागाराम | 2. भंवरलाल पुत्र पुरखाराम |
| 3. लिखमाराम पुत्र बागाराम | 3. तीजों पत्नी पुरखाराम |
| 4. जोगाराम पुत्र हरचन्द्रराम | 4. धन्नाराम पुत्र लिछमणाराम |
| 5. केसराराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति जाट निवासी दीपाणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर | 5. नाथाराम पुत्र लिछमणाराम |
| | 6. नाथाराम पुत्र सुखाराम |
| | 7. खेराजराम पुत्र सुखाराम |
| | 8. राऊराम पुत्र सुखाराम |
| | 9. हुकमाराम पुत्र सुखाराम |
| | 10. चुनाराम पुत्र तुलछाराम |
| | 11. जोगाराम पुत्र तुलछाराम |
| | 12. पारू पत्नी तुलछाराम |
| | 13. उमाराम पुत्र किरताराम |
| | 14. फुसाराम पुत्र किरताराम |
| | 15. भीखाराम पुत्र पूनमाराम |
| | 16. घमण्डाराम पुत्र पूनमाराम |
| | 17. उदाराम पुत्र पूनमाराम |
| | 18. किस्तुरी पत्नी पूनमाराम |
| | 19. पारू पुत्री बागाराम |
| | 20. खंगाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी दीपाणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर |
| | 21. तहसीलदार बायतु हाल गिड़ा जिला बाड़मेर |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2013


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान नगाराम वगैरा बनाम नाथाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं
डिक्री दिनांक 07.02.2018 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश एन. सारण रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 05 व 14 की ओर से।


निर्णय

दिनांक:—04.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 14 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा शहर में खसरा संख्या 171 रकबा 100.02 बीघा, खसरा संख्या 305/184 रकबा 36.03 बीघा व मौजा दीपाणियों की ढाणी में खसरा संख्या 30 रकबा 11.15 बीघा पटवार क्षेत्र शहर तहसील बायतु हाल गिडा जिला बाड़मेर में का आया हुआ है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से खुल्ले हुए है। अपीलांटस के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.05.2017 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गिडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गिडा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय


राजेश अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गिडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2022(1) Page 61

RLW 2008(2) Page 1185

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटगण को वादीगण द्वारा पेश किये गये वाद के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था परन्तु बाद निर्णय करने के बाद उतरदातागण द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन करवा लिया तथा वर्तमान में मौके पर अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगा तथा धमकी दी कि हमने वादग्रस्त भूमि का छिपे तौर से बंटवाड़ा करवा लिया है



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशय प्रद लगे तो अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 22.01.2021 को नकले प्राप्त की जिस पर अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.05.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काशत के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा **By Metes & Bounds** सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।


राजेश कुमार
बाडमर

लिहाजा अपील अपीलॉट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2013 बअनवान नगाराम वगैरा बनाम नाथाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई भिटस एण्ड बार्डरस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

Jania
(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Jania
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर